संख्या-31 /2019/2563/33-3-2019-100(19)/2015

प्रेषक,

**जोगेन्द्र प्रसाद,**
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

**निदेशक,**
पंचायती राज,
उ0प्र0, लखनऊ।

**पंचायती राज अनुभाग-3** **लखनऊ: दिनांक: 25 अक्टूबर, 2019**

**विषय:- वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-81 में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत राज्य स्तर से केन्द्रांश व राज्यांश क्रमश: रू. 188.02 लाख व रू. 125.35 लाख इस प्रकार कुल रू. 313.37 लाख की धनराशि अवमुक्त किए जाने के सम्बन्ध में।**

**महोदय,**

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) उ0प्र0 पत्र संख्या- 5/1025/2019-5/118/2019, दिनांक 10.10.2019 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-81 में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत राज्य स्तर से केन्द्रांश व राज्यांश क्रमश: रू. 188.02 लाख व रू. 125.35 लाख इस प्रकार कुल रू. 313.37 लाख (रू. तीन करोड़ तेरह लाख सैंतीस हजार मात्र) की धनराशि को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/ बी-1 -170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22.03.2019 में उल्लिखित निर्देशों का कडाई से अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि/जनपदवार आवंटित केन्द्रांश/परिव्यय प्राप्त होने के उपरान्त ही आहरित किया जायेगा तथा धनराशि को निर्धारित शर्तो, प्रतिबंधों /नियमानुसार ही व्यय किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वस्तुत: जिन अनुदान/मदों हेतु अवमुक्त की जा रही है, उन्हीं में इसका व्यय अनुमन्य होगा। अन्य किसी अनुदान/मद में किया जाना व्यय अनुमन्य न होगा। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, पंचायती राज उ0प्र0 का होगा।

(3) उक्त वित्तीय स्वीकृति जारी करने के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन(एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनैनशिल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्य राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

(4) प्रश्नगत धनराशि टी0एस0पी0 राज्यांश के अन्तर्गत प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष उसी सीमा तक व्यय की जायेगी जिस सीमा तक एस0टी0 लाभार्थियों हेतु एस0टी0पी0 राज्यांश अनुमन्य होगा। केन्द्रांश प्राप्त हो जाने पर ही राज्यांश का आहरण/व्यय किया जायेगा।

(5) इस संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के विरूद्ध निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सम्पूर्ण विवरण/सूचनायें परीक्षण /सत्यापन हेतु समाज कल्याण विभाग को उपलब्ध कराई जाए।

(6) भारत सरकार द्वारा निर्गत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की गाईड लाइन की व्यवस्था के अनुसार उक्त अवमुक्त धनराशि को यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा गोमतीनगर, लखनऊ में उ0प्र0 स्टेट सैनीटेशन मिशन (एस0एस0एम0) के नाम से खोले गये खाता संख्या-521302010060034 आई0एफ0एस0सी0 कोड यूबीआईएन 0552135 में जमा किया जायेगा।

A

(7) भारत सरकार द्वारा निर्गत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की गाइड लाइन की व्यवस्था के अनुसार उक्त अवमुक्त धनराशि निर्धारित समयान्तर्गत जनपदों को अवमुक्त की जायेगी।

(8) उक्त धनराशि का व्यय एस0सी0एस0पी0 /टी0एस0पी0 के लिए भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देश के अनुसार किया जायेगा। उक्त धनराशि का व्यय प्रश्नगत योजना के क्रियान्वयन हेतु समय-समय पर निर्गत मार्ग निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा।

(9) उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या- 81 अन्तर्गत प्रावधानित धनराशि रू. 12000.00 लाख में से वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या- 81 में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत राज्य स्तर से केन्द्रांश व राज्यांश क्रमशः रू. 188.02 लाख व रू. 125.35 लाख इस प्रकार कुल रू. 313.37 लाख (रू. तीन करोड़ तेरह लाख सैंतीस हजार मात्र) को लेखाशीर्षक"2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना -02-स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)-0201-स्वच्छ शौचालय का निर्माण (जिला योजना) (के.60/रा.40/के.+रा.)-20-सहायता अनुदान- सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

(10) शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या- 4/2018/ आर0जी0-1021/ दस/ 2018-मित0-1/2017 दिनांक 18.09.2018 विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

(11) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी0एम0-13 पर लेखाशीर्षक /मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

(12) उक्त धनराशि का व्यय उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु समय-समय पर निर्गत विस्तृत मार्ग निर्देशों एवं स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) की गाइड लाइन की व्यवस्था के अनुरूप किया जायेगा।

(13) आकड़ों की शुद्धता का दायित्व निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0 का होगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

(14) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वस्तुतः जिन अनुदान/मदों हेतु अवमुक्त की जा रही है, उन्हीं में इसका व्यय अनुमन्य होगा। अन्य अनुदान/मद में किया जाना वाला व्यय अनुमन्य न होगा।

(15) स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत व्यय व पूर्व में स्वीकृत धनराशियों के निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाने का दायित्व निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0 का होगा।

(16) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत भारत सरकार के दिशा-निर्देशों में उल्लिखित व्यवस्था एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त व्यवस्था के अन्तर्गत निर्धारित मदों में किया जायेगा।

(17) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में सुनिश्चित किया जायेगा।

(18) धनराशि के आहरण के संबंध में मितव्ययता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं अन्य वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(19) भारत सरकार के पत्र संख्या-एस-12011/3/2015-एस.बी.एम. दिनांक 27.09.2019 में अंकित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(20) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वस्तुतः जिन अनुदान/मदों हेतु अवमुक्त की जा रही है, उन्हीं में इसका व्यय अनुमन्य होगा। अन्य किसी अनुदान/मद में किया जाने वाला व्यय अनुमन्य न होगा।

**2-** यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/ बी-1 -170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22.03.2019 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

**3-** यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0-यू.ओ.-ई-2-829 /x-19 दिनांक 25.10.2019 मे प्राप्त सहमति के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

( जोगेन्द्र प्रसाद )
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या तथा दिनांक उपरोक्त।</u>

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग,उ0प्र0 प्रदेश शासन।
3- मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) उ0प्र0 को उनके पत्र संख्या- 5/1025/2019-5/118/2019, दिनांक 10.10.2019 के क्रम में।
4- समस्त जनपदों के जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी उ0प्र0।
5- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- एन0आई0सी0 की प्रति।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3/वित्त (बजट) अनुभाग-2
8- बजट प्रकोष्ठ /कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( जोगेन्द्र प्रसाद )
संयुक्त सचिव।

2- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/ बी-1 -170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22.03.2019 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0-यू.ओ.-ई-2-829 /x-19 दिनांक 25.10.2019 मे प्राप्त सहमति के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

( जोगेन्द्र प्रसाद )
संयुक्त सचिव।

संख्या तथा दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग,उ0प्र0 प्रदेश शासन।

3- मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) उ0प्र0 को उनके पत्र संख्या- 5/1025/2019-5/118/2019, दिनांक 10.10.2019 के क्रम में।

4- समस्त जनपदों के जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी उ0प्र0।

5- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

6- एन0आई0सी0 की प्रति।

7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3/वित्त (बजट) अनुभाग-2

8- बजट प्रकोष्ठ /कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग।

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( जोगेन्द्र प्रसाद )
संयुक्त सचिव।